

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 25/04/23

क्रमांक रीडर/2023/1497

प्रार्थी
1 कोजाराम पुत्र राऊराम
जाति सुथार निवासी
आसुंओं की ढाणी, सांजटा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 दीपाराम 2 दुर्गाराम 3 तेजाराम पिसरान नानगाराम 4 तीडीदेवी पत्नी नानगाराम जाति सुथार 5 सवाईराम पुत्र चान्दराम जाति कुम्हार 6 आसुराम 7 खेमाराम पिसरान वीराराम 8 पेमी पत्नी वीराराम 9 देवीलाल पुत्र पोककराम 10 भीखीदेवी पत्नी पोककराम जाति सुथार 11 राणाराम 12 हरजीराम पिसरान लुम्भाराम 13 गंगाराम 14 चनणाराम 15 जालाराम पिसरान खेताराम जाति मेघवाल निवासी आसुंओं की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 16 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 347/2022

दिनांक- 12/04/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आसुंओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 590/322 रकबा 15.00 बीघा व खसरा संख्या 591/322 रकबा 09.10 बीघा कुल रकबा 24.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 25/04/23

क्रमांक :- रीडर/2023/1498-1501

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कोजाराम पुत्र राऊराम जाति सुथार निवासी आसुंओं की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी दीपाराम पुत्र नानगाराम वगैराह जाति सुथार निवासी आसुंओं की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर